कार्यालय प्राचार्य,शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर (छ.ग.)
GOVT. POLYTECHNIC KANKER (C.G.) - 494334
Email-govtpolykanker@gmail.com, Ph-078682-22081

क्रमांक / शापॉका / स्था. / 2017 / 160 | कांकेर / दिनांक 18 / 05 / 2017

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल (छ0ग0)

विषयः– शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज भवन निर्माण हेतु कांकेर जिले में राजस्व भूमि ना होने के संबध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर कांकेर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने बाबत् ।

संदर्भः– 1. आपका पत्र क्रमांक / मा.वि. / 2017 / 1416 कांकेर दिनांक 26 / 04 / 2017.
2. कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर का पत्र क्रमांक 740 / कले0 / भू0अ0 / 2017 कांकेर दिनांक 17 / 06 / 2017.

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र0 01 द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज कांकेर के भवन निर्माण हेतु कांकेर जिले में राजस्व भूमि ना होने के संबध में अनापत्ति प्रमाण की मांग की गई थी ।

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) के संदर्भित पत्र क्र0 02 के द्वारा आपके ,द्वारा चाहा गया प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है । जिसकी सत्यापित छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेक्निक
कांकेर (छ0ग0)

क्रमांक / शापॉका / स्था. / 2017 / 161 | कांकेर / दिनांक 18 / 05 / 2017

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त सह–सचिव तकनीकी शिक्षा आयुक्त सह–सचिव,इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ ।
2. कार्यापालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) संभाग कांकेर को सूचनार्थ ।
3. जे0 एस0 दीक्षित, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी संचालनालय तकनीकी शिक्षा भवन नया रायपुर को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी भवन शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर (छ0ग0). ।

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेक्निक
कांकेर (छ0ग0)

S/c Building / Land

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक 740 /कले. / भू.अ./2017 कांकेर दिनांक 17 /05/2017

प्रति

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

विषयः– शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण हेतु कांकेर जिले में राजस्व भूमि न होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत ।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक/स्था./शापॉका/ 2017 /98 कांकेर दिनांक 01.05.2017

–0–

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें , जिसमें शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज कांकेर के भवन निर्माण हेतु कांकेर जिले मेंराजस्व भूमि न होने के संबंध में वन मंडलाधिकारी कांकेर के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है ।

अतः कांकेर जिले में शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज **Skill Upgradation or vocational training centres** की स्थापना हेतु **4.309** हेक्टेयर भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध नही है ।

संलग्न :–प्रमाण पत्र

17/5/17

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर

अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कांकेर जिले में शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज **Skill Upgradation or vocational training centres** की स्थापना हेतु **4.309** हेक्टेयर गैर वानिकी कार्य हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध नही है ।

कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा)
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक 2004 / कले. / भू.अभि. / 2017 कांकेर, दिनांक 21 / 12 / 2017

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेक्निक
नाथिया नवागांव कांकेर (छ.ग.)

विषयः—शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज भवन निर्माण के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भः—आपका पत्र क्र. 1046 / दिनांक 01.12.2017

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें राजस्व भूमि उपलब्ध न होने के संबंध में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र चाही गई है।

अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

21/12/17

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते—कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर

–: वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र :–

––000––

प्रमाणित किया जाता है कि शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज भवन निर्माण हेतु ग्राम नाथियानवागांव ऑरेंज एरिया कक्ष क्रमांक 346 में से 4.309 हे. वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले, व्यपवर्तित वन भूमि के समतुल्य वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि जिला उत्तर बस्तर कांकेर में उपलब्ध नहीं है।

स्थान --कांकेर

दिनांक-- / /2017

कलेक्टर

जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय प्राचार्य,शासकीय पॉलीटेक्निक,नाथिया नवागॉव, कांकेर (छ.ग.)494336
OFFICE OF THE PRINCIPALGOVERNMENT POLYTECHNIC,NATHIYA NAWGAON, KANKER (C.G)494336
email.govtpolykanker@gmail.com

क्रमांक / शापॉका. / भवन / 2018 / 38 कांकेर, दिनांक 13/04/2018

प्रति,

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
कांकेर, वन मण्डल कांकेर (छ0ग0)

विषयः– Diversion of Forest land for Non-forest purpose under Forest conservation Act, 1980 proposed for Govt. Polytechnic building for skill Upgradation, area-4.309hec. regarding आनलाईन पंजीयन क्रमांक – FP/CG/others/27773/2017.

संदर्भः– आपका कार्यालय पत्र क्रमांक / मा.चि / 2018 / 1993, कांकेर दिनांक 08 / 02 / 2018.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा मांगी गई प्रमाण पत्र कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर से प्राप्त किया जा चुंका है।

अतः आगे की कार्यवाही के लिए यह प्रमाण पत्र आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नः– प्रादर्श 'स' प्रमाण पत्र।

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेक्निक
कांकेर (छ0ग0)

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर

प्रदर्श–स"

–:प्रमाण पत्र:–

मेसर्स प्राचार्य शासकीय पॉलेटेकनिक कॉलेज कांकेर को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में कांकेर वन मंडल के ग्राम नाथियानवागांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कक्ष कमांक 346 में से रकबा 4.309 हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 4.309 हे..एवं/राजस्व वन भूमि ....हे0 कुल भूमि 4.309 **हेक्टेयर** जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है , तथा **ग्राम नाथियानवागांव तहसील कांकेर में स्थित है**, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **23/03/2017 (प्रदर्श–अ)** एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"ब")** पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **नाथियानवागांव** ग्रामसभा के अध्यक्ष **श्री दिलदार सिंह मण्डावी** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **23/03/2017** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	नाथियानवागांव	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **23/03/2017** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. **23/03/2017** के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

दिनांक 5 / 4 / 2018

कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

वन अधिकारों की मान्यता की अन्तर्गत गठित अनुभाग स्तर समिति की कार्यवाही बैठक दिनांक 16.10.2017 पश्चात अनुमोदन प्रस्ताव

---000---

प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण हेतु ग्राम–नाथियानवागांव पटवारी हल्का नम्बर 02, तहसील कांकेर के खसरा नम्बर 814 (आरेंज एरिया कक्ष क्रमांक– 346) 4.309 हे. वन भूमि मे वन सरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों के तहत इस प्रमाण पत्र हेतु विषयांकित प्रकरण मे ग्राम सभा की बैठक दिनांक 15.07.2017 में पारित प्रस्ताव एवं वन विभाग का जॉच प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 02.08.2017 को अनुविभागीय स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया था, जिसमें वनमण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर के पत्र क्रमांक/मा.चि./2017/9047 दिनांक 26.09.2017 से प्राप्त पत्र के अनुसार पुनः चर्चा उपरांत निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रेषित की जाती है ।

क्र.	ग्राम का नाम	मद	ख.नं.	पूर्व में प्रस्तावित रकबा सामुदायिक वन अधिकार के लिए जारी प्रमाण पत्र क्र.0026916	प्रस्तावित रकबा (हे.में)	कुल रकबा	अन्य
1	2	3	4		5	6	7
1.	नाथियानवागांव	आरेंज एरिया	814	0.99 हे.	3.310 हे.	4.309 हे.	वन भूमि

भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण की व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है। अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान के तहत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुभाग स्तर समिति की बैठक दिनांक 16/10/2017 को आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार समिति के सदस्यों ने भाग लिया।

क्रमांक	नाम व पद नाम	अनुभाग स्तरीय समिति
1	अनुविभगीय अधिकारी (रा.) कांकेर	अध्यक्ष
2	अनुविभागीय अधिकारी (वन) कांकेर	सदस्य
3	मंडल संयोजक आ.जा.क. कांकेर	सदस्य
4	श्रीमती पुष्पा सलाम अध्यक्ष, जनपद पंचायत कांकेर	सदस्य
5	श्रीमती कौशिल्या शोरी अध्यक्ष, जनपद पंचायत नरहरपुर	सदस्य
6.	श्री महावीर उसेण्डी, जनपद सदस्य चारामा	सदस्य

अतः वन भूमि पर वनाधिकार के अधिनियम के अधिभोग के संबध में उक्त ग्राम के ग्राम सभा में स्थित वन भूमि खसरा नं. 814 रकबा 4.309 हे. के व्यपवर्तन हेतु पारित संकल्प पर विचार किया गया और यह पाया गया कि खसरा नंबर 814 में से रकबा 0.99 हेक्टर का शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज कांकेर के भवन

निर्माण हेतु पूर्व मे मान्यता प्रमाण पत्र क्रमांक 0026916 जारी किया गया है । वन भूमि को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम के तहत खसरा नंबर 814 में से शेष भूमि रकबा 3.310 हेक्टर कृषि, आवास तथा अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नही कर रहे हैं तथा अनुसूचित जनजाति व वनवासी को भूमि में व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र प्रदाय नही किया गया है ।

अतः गैर वन उद्देश्य हेतु अनुभाग कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर अन्तर्गत उक्त ग्राम में स्थित वन भूमि के विपथन/प्रत्यावर्तन को समिति के बैठक में सर्व समिति से पारित किया गया तथा अधिनियम के प्रावधानित नियमों के तहत कार्यवाही किये जाने में समिति को कोई आपति नहीं है ।

सदस्य वन अधिकार समिति जनपद अध्यक्ष नरहरपुर	सदस्य वन अधिकार समिति जनपद अध्यक्ष कांकेर	सदस्य वन अधिकार समिति जनपद सदस्य चारामा	सदस्य वन अधिकार समिति मण्डल संयोजक,कांकेर	सदस्य वन अधिकार समिति उप वन मण्डलाधिकारी कांकेर	अध्यक्ष वन अधिकार समिति अनुभाग स्तरीय कांकेर

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा)
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

दूरभाष 07868–241550 ई–मेल landrecord1550@gmail.com

क्रमांक 583 /कले./भू अभि./ 2018 कांकेर, दिनांक 11 /05/2018

प्रति

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज कांकेर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय ... 2953 16-5-18 ... उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

विषयः– Annexure-I तथा Annexure-II के प्रमाण पत्र हेतु।

संदर्भः–आपका पत्र क्र. /भवन/शापॉकां./2018/43 कांकेर, दिनांक 18/04/2018

–0–

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत Govt. Polytechnic Building for Skill Upgradation Village Nathiyanawagoan हेतु कुल क्षेत्रफल 4.309 हे. वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु Annexure-I एवं Annexure-II प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– Annexure I, II

11/5/18

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक /कले./भू अभि./ 2018 कांकेर, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–

1– वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) कांकेर को सूचनार्थ।

वन मंडलाधिकारी कांकेर वन मंडल, कांकेर

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कंकेर

Form I

Government of

Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)

No. ---583---------------------- Date ---11-05-2018-----------------------

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India`s letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **4.309** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Principle Govt. Polytechnic College Nathiyanawagaon Kanker** (name of user agency) for **Diversion of 4.309 Ha. Compartment No. OA/346 Aria 4.309 Ha. Khasra no. 814 for Govt. Polytechnic building for skill upgradation village Nathiyanawagaon in Uttar Bastar Kanker District** (purpose for diversion of forest land) in **Kanker** district falls within jurisdiction of **Nathiyanawagaon** villages(S) in **Kanker** tehsils.
This further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.309** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S**.

(b) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.

(TAMAN SINGH SONWANI)
Collector
District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Form II
Gen project other than forest proposal
Government of
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)

No. ---583--------------------- Date ----11-05-18-------------------

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India`s cr No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that **4.309** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Principle Govt. Polytechnic College Nathiyanawagaon Kanker** (name of user agency) for **Diversion of 4.309 Ha. Compartment No. OA/346 Aria 4.309 Ha. Khasra no. 814 for Govt. Polytechnic building for skill upgradation village Nathiyanawagaon in Uttar Bastar Kanker District** (purpose for diversion of forest land) in **Kanker** district falls within jurisdiction of **Nathiyanawagaon** villages(S) in **Kanker** tehsils.
This further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.309** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S**.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Nathiyanawagaon** villages(s) is enclosed as annexure **1** to **3**

(d) The discussion and dexisions on such proposals and taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of the gram sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) to the FRA.

Encl.....As above.

11.5.2018

(TAMAN SINGH SONWANI)
Collector
District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Origional / Duplicare / Triplicate

Rew H.& M. C. P.& Bear. (B. L.) Subsidary Rules 19 & 23 Under Treasury Rule 10

Challan only paid in to the State Bank of India Kanker / Treasury

(To be presented at the Single or Duplicate or Triplicate asCase may be)
(खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकलें जैसे कायदा हो पेश करना चाहिए)

By whom broght कौन लाया	On what Accout किस बाबत		Amout रकम	
प्राचार्य शासकीय पालीटेक्निक कांकेर D. F. O. Kanker Dn. Kanker	शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज कांकेर के लिए भवन निर्माण हेतु ग्राम नाथियानवगांव भूमि प.ह.नं. 02 खसरा नं. 814 का रकबा 3.310 हें. वन भूमि हेतु प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 18000/- बैंकर्स चेक क्रमांक - 383776, दिनांक 23.10.2013, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कांकेर को वन मण्डलाधिकारी के पी. डी. खाता क्रमांक 01 में जमा करने बाबत्।	Under Rs. Eighteen thousand One only	18000 =	00
		Total मीजान	18000 = 00	

कांकेर वन मंडल (सा.) 311 कांकेर

In word **Rs. Eighteen thousand only**

HEAD OF REVENUE MANJOR HEAD DETAILED HEAD	**8443** – सिविल डिपोजित **106** – फारेस्ट रेमिटेन्स	Detail तफसील .... Note जोड़ .... Case नगदी .... Total मीजान	

Certified that amount shown above has been entered in the Department Register the head of Revenue indicated above space.

Date 08/11/2013....

D. F. O. Kanker
Dn. Kanker

\- For use in Treasury खजाने में इस्तेमाल के लिए -

Received

Examined Signature of the Accountant	Rs.(in figures) 18000/- Rs.(in words) Eighteen thousand only Signature of Trasurers	Entered No. 30 Signature of Accountant
Date	Treasury Officer	Seal

भारतीय स्टेट बैंक, कांकेर छ. ग. (0401) 08 NOV 2013 अन्तरण / TRANSFER

θ - 144

63

Origional / Duplicare / Triplicate

Rew H.& M. C. P.& Bear. (B. L.) Subsidary Rules 19 & 23 Under Treasury Rule 10

Challan only paid in to the State Bank of India Kanker / Treasury

(To be presented at the Single or Duplicate or Triplicate asCase may be)
(खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकलें जैसे कायदा हो पेश करना चाहिए)

By whom broght कौन लाया	On what Accout किस बाबत		Amout रकम	
प्राचार्य शासकीय पालीटेक्निक कांकेर D. F. O. Kanker Dn. Kanker	शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज कांकेर के लिए भवन निर्माण हेतु ग्राम नाथियानवगांव भूमि प.ह.नं. 02 खसरा नं. 814 का रकबा 3.310 हें. वन भूमि हेतु पंजीयन शुल्क की राशि 6000/- बैंकर्स चेक क्रमांक - 383775, दिनांक 23.10.2013, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कांकेर को वन मण्डलाधिकारी के पी. डी. खाता क्रमांक 01 में जमा करने बाबत्।	Under Rs. Six thousand One only	6000 =	00
		Total मीजान	6000 =	00

In word Rs. Six thousand only

HEAD OF REVENUE MANJOR HEAD DETAILED HEAD	8443 – सिविल डिपोजित 106 – फारेस्ट रेमिटेन्स	Detail तफसील .... Note जोड़ .... Case नगदी .... Total मीजान	

Certified that amount shown above has been entered in the Department Register the head of Revenue indicated above space.

Date 08/11/2013

D. F. O. Kanker
Dn. Kanker

- For use in Treasuey खजाने में इस्तेमाल के लिए

Examined Signature of the Accountant	Rs.(in figures) Received Rs.(in word) Six thousand only Signature of Trasurers	31 Entered No. Signature of Accountant
Date	Treasury Officer	Seal

भारतीय स्टेट बैंक (0401)
08 NOV 2013
अन्तरण / TRANSFER

कांकेर वन मंडल 311

θ - 143

कार्यालय–प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉकेर
उ.ब. कॉकेर (छ.ग.)

क्रमांक / लेखा / शापॉकां. / 2013 / 2026 कॉकेर, दिनॉक 25 / 10 / 2013

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंण्डल कॉकेर

कार्यालय वनमंडलाधिकारी (सा.)
क्र. 7291
दि. 26.10.13
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

विषयः– शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज कॉकेर के लिए जमीन उपलब्ध कराने बाबत् ।

सन्दर्भः–आपका पत्र कं. / मा.चि. / 2013 / 9939, कांकेर, दिनॉक 29.07.2013

...

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज कॉकेर के लिए भवन निर्माण हेतु ग्राम नथियानवागॉव भूमि पटवारी हल्का नं. 02, खसरा नं. 814 का रकबा 5.309 हेक्टयर भूमि आवंटन हेतु, निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–नियम–6, फार्म (क) में तैयार कर, निर्धारित पंजीयन शुल्क 6000 / – एवं प्रोसेसिंग शुल्क 18,000 / –एस.बी.आई. शाखा कॉकेर में दिनॉक 23.10.2013 को जमा कर, बैंकर्स चैक क्र0 383775 एवं 383776 आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न– 1. प्रतिवेदन की मूलप्रति ।
2. बैंकर्स चेक 02 नग ।

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल कांकेर

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेक्निक
कॉकेर

Principal
Govt. Polytechnic
Kanker (C.G.)

	DETAILED ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF ADMINISTRATIVE CUM ACADEMIC BUILDING FOR GOVT. POLYTECHNIC AT KANKER(C.G.)	
	GENERAL ABSTRACT OF ESTIMATE	
S.NO.	PARTICULARS OF ITEMS	AMOUNT
1	**Construction of Building (Civil Work)**	
	Ground floor	50004753.14
	First Floor	24641561.09
	TOTAL	**74646314.24**
2	C.C. Roads/Drains +R.C.C. Culvert	4332563.45
3	Electricity internal & External Add 9% Extra	6718168.28
	TOTAL	**85697045.97**
4	Workcharged establishment & contingencies	
	Charges Add Extra @ 2.5%	2142426.15
5	Architect fees Add extra 2.4%	2056729.10
	GRAND TOTAL	**89896201.22**
	Say Rs	**89900000.00**

Architect
Modern consultants

R.K. Patel, Architecn
Reg. No.- CA/87/10696
16/12, Nehru Nagar (E)
BHILAI (C.G.)
Ph.: 0788 - 3292690

Sub.Engineer
P.W.D. Kanker

Sub. Divisional Officer
P.W.D.(B/R) Sub. Div.
Kanker

Excutive Engineer
P.W.D. (B/R) Kanker Div.
Kanker

Executive Engineer
P.W.D.(B/R) Division
KANKER

(6)

चैक लिस्ट - II 26

डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

का.आ. 1533(अ).—केंद्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से गठित किए जाने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन संघ मंत्रिमंडल द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार जब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिलिखित नहीं हो जाती है, भारत के किसी भाग में[1], नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों पर या इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा उपवर्णित उनके सक्षम पर्यावरणीय समाघातों पर विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का०आ० सं० 1324(अ), तारीख 15 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थीं जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और ऊपर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आपेक्षों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ।

अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखें)

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों

क्र सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रवर्ग		शर्तें
		क	ख	
1	**खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)**			
1	2	3	4	5
1(क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का ≥50 है0 किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए बिना ऐस्बैस्टज खनन	< 50 हैक्टेयर ≥ 5 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	साधारण होगी टिप्पण खनिज पदार्थ (जिसमें ड्रिलि छूट दी गई वास्तिवक सर्वेक्षण छूट वाले अनुमति ली गई
1(ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं		टिप्पण सार खोज सर्वेक्षण ड्रिलिंग न हो) गई है बर्शत सर्वेक्षण के लि क्षेत्रों की पूर्व गई है।
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥50 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन (ii)≥10,000 है0खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	(i) <50 ≥ 25 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन (ii) <10,000 है0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	सधारण शर्त लागू
1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	(कोयला लिग्नाइट और नेप्था गैरा आधारित) ≥500 मे.वा. ≥ 50 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/नैफ्था एवं गैरा आधारित) <500 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी, अन्य ईंधन)<50 मे.वा ≥5 मे.वा.	साधारण शर्त
1(ङ)	आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं		
2	**प्राथमिक प्रसंस्करण**			
2(क)	कोयला धोवनशालाएं	≥1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	<1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्त लागू (यदि खनन क्षेत्र स्थित है तो प्र मूल्यांकन खनन प्र साथ किया जाना